प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-02.02.2025

थाना कप्तानगंज पुलिस, थाना दुबौलिया पुलिस व एसओजी टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में माँ व बेटी के दोहरे हत्याकांड में प्रकाश में आये अभियुक्त बलवीर उर्फ मुन्नर रुपये 50,000/- का इनामिया को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री अभिनन्दन के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेठा में दिनांक-3/4.12.2024 को माँ गोदावरी व बेटी सौम्या के दोहरे हत्याकांड के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-215/2024 धारा-61(2), 103(2), 238, 326(G), 249 B.N.S. से सम्बंधित प्रकाश में आये रुपये 50,000/- का इनामिया अभियुक्त 1- बलवीर उर्फ मुन्नर पुत्र कमलेश उपाध्याय निवासी ग्राम सेंठा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती की गिरफ्तारी हेतु गठित थाना कप्तानगंज पुलिस, थाना दुबौलिया पुलिस व एसओजी टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना पर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर घेराबंदी किया गया। जहां से अभियुक्त भागते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज उपेन्द्र मिश्रा बल बाल-बाल बचे, तत्पश्चात जिसके जवाबी कार्यवाही/ पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त 1- बलवीर उर्फ मुन्नर (जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1- अवैध देसी तमंचा 315 बोर व 2- एक अदद ज़िंदा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस बरामद करते हुए पुलिस टीम पर फायर करने व बरामदगी के आधार थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 23/2025 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है, जहां घायल अभियुक्त का दवा-इलाज सदर अस्पताल बस्ती में चल रहा है |

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- बलवीर उर्फ मुन्नर पुत्र कमलेश उपाध्याय निवासी ग्राम सेंठा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध देसी तमंचा 315 बोर।

2- एक अदद ज़िंदा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 149/2017 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 354ख, 427, 504, 506 IPC थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।

2. मु0अ0सं0 59/2020 धारा 147, 149, 308, 323, 325, 504, 506 IPC थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

3. मु0अ0सं0 48/2022 धारा 147, 323, 325, 504, 506 IPC थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.12.2024 को मृतका की पुत्री द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दिया गया था कि मेरी माँ और छोटी बहन सौम्या के साथ पैतृक मकान ग्राम सेठा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती में रहती थी। पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है। मेरे पिता जमीन मेरी छोटी बहन सौम्या के नाम वसीयत किया था और माँ का नाम भी उसी वसीयत में किया था। पिता के मृत्यु के बाद नामांतरण के कार्यवाही के लिए वसीयत के आधार पर कार्यवाही चल रही थी मेरे सगे भाई करूणाकर उर्फ लल्लन, राजन उर्फ राजेश, कमलेश की साजिश में कर नामान्तरण के कार्यवाही में बाधा पहुँचाने के लिए आपत्ती दाखिल किये थे। तहसीलदार हरैया के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। दिनांक 05.12.24 को न्यायालय में मृतका गोदावरी और पुत्री सौम्या के बयान होना या मुकदमे के सबूत को नष्ट करने के उद्देश्य से दिनांक 3/4.12.24 की रात्रि में कमलेश कुमार, कौशल चन्द, करुणाकर उर्फ लल्लन, राजन उर्फ राजेश, शान्ति देवी, रंजना, शिल्पा, एक राय होकर मेरी माँ गोदावरी और मेरी छोटी बहन सौम्या की हत्या कर दिये तथा लाश को जला दिया गया है। सबूत मिटाने की कोशिश की गयी। दोनों का चेहरा पहचान में आ रहा है। जिस कमरे सोती थी उसी में जलाये है। इस तहरीर के आधार पर सात नामजद एवं एक अज्ञात के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर कर विवेचना प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त 1- बलवीर उर्फ मुन्नर द्वारा बताया गया कि वह घटना घटित होने से 02 दिवस पूर्व मुम्बई से अपने गांव आ कर अपना मोबाइल बंद रख कर स्वयं को छिपाकर घर पर रह रहा था | दिनांक-3/4.12.2024 (घटना का दिन) को वह पूरी योजना के अनुसार अपने सहयोगियों के साथ अपनी चाची (माँ गोदावरी) व चचेरी बहन (बेटी सौम्या उपाध्याय) की हत्या कर बिस्तर पर ही जलाने के उपरांत मौके से अपने सहयोगियों के साथ फरार हो गया था | मेरी माँ भी इसी हत्या के मुकदमे में अभियुक्त है तथा वह अभी जेल में है जिसको छुड़ाने के लिए मैं वकील से मिलने के प्रयास में था तथा घर की तरफ कुछ कागजात लेने के लिए गया था जो गाँव में आते जाते हुए लोगों के द्वारा देख लेने के कारण वापस चला आया। इस वजह से डरा हुआ था तथा हट बढ़कर रह रहा था अपने पास एक अवैध तमंचा अपने बचाव के लिए रखा था। आप लोगों पर गोली चलाकर भागना चाह रहा था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज उपेन्द्र कुमार मिश्र जनपद बस्ती।
2- निरीक्षक अपराध राजेश विश्वकर्मा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
3- प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 चन्द्रकान्त पाण्डेय जनपद बस्ती।
4- थानाध्यक्ष दुबौलिया जितेन्द्र सिंह जनपद बस्ती।
5- उ0नि0 श्री जयप्रकाश पाण्डेय थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।
6- हे0का0 इरशाद, हे0का0 रमेश, हे0का0 अभय, हे0का0 धर्मेन्द्र, का0 चन्दन, का0 शिवम एस0ओ0जी0 टीम बस्ती।
7- का0 काशी कुमार, का0 यशवन्त यादव, का0 एसपी चौहान थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
8- हे0का0 सलमान, का0 हरेन्द्र यादव थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।